



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष: 0141-2227481 फ़ैक्स: 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईन: 15100/9928900900
ई-मेल: rsjsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाइट: <https://rsjsa.rajasthan.gov.in>

क्रमांक:एफ4(236)रालसा/वि.स./मध्यस्थता/2025/ 8016 - 8051

दिनांक: 18.08.2025

प्रेषित:

श्रीमान् अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

विषय: मध्यस्थ के रूप में सेवाएँ प्रदान करने के इच्छुक, योग्य व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वैकल्पिक विवाद निस्तारण एवं मध्यस्थता गतिविधियों के सफल एवं सुचारु संचालन के क्रम में प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों एवं तालुकाओं पर (नये जिलों को सम्मिलित करते हुए) संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों में मध्यस्थ के रूप में सेवाएँ प्रदान करने के इच्छुक, सक्षम तथा योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाने हैं।

उक्त संबंध में निवेदन है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला कलक्टर, बार एशोसिएशन कार्यालयों के बाहर स्पष्टतः दृष्टव्य स्थानों/नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा कर आपके जिले में संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों हेतु मध्यस्थ बनने के इच्छुक, योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों से दिनांक 25.08.2025 तक जिला स्तर एवं तालुका स्तर के लिए पृथक-पृथक आवेदन संलग्न प्रारूप में प्राप्त किये जावें।

प्राप्त आवेदनों की जांच एवं छंटनी विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार की जाकर योग्य एवं सक्षम आवेदकों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में सॉफ्ट कॉपी (Excel file) एवं पीडीएफ में दिनांक 26.08.2025 तक इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

सादर

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
दूरभाष: 0141-2227481 फ़ैक्स: 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईन: 15100/9928900900
ई-मेल: rsjsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाइट: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

क्रमांक:एफ4(236)रालसा/वि.सचिव/मध्यस्थता/2025/8053

दिनांक: 15/08/25

—:: विज्ञप्ति ::—

वैकल्पिक विवाद निस्तारण एवं मध्यस्थता गतिविधियों के सफल एवं सुचारु संचालन के क्रम में प्रदेश में उच्च न्यायालय स्तर, समस्त जिला मुख्यालयों एवं तालुकाओं पर संस्थापित मध्यस्थता केन्द्रों में मध्यस्थ (Mediators) के रूप में सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक, सक्षम तथा योग्य व्यक्तियों से दिनांक 25.08.2025 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. पात्रता: इस हेतु निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं:

- (i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण
- (ii) माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपतिगण
- (iii) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सेवानिवृत्त सिविल न्यायाधीश
- (iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय में कम से कम 15 वर्ष वकालत का अनुभव रखने वाले अधिवक्तागण
- (v) कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर या वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी
- (vi) वे संस्थाएं जो स्वयं मध्यस्थता में विशेषज्ञ हैं और जिन्हें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से मान्यता प्राप्त हैं।

नोट: उपरोक्त के साथ-साथ अन्य सेवारत एवं सेवानिवृत्त बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बीमा, शिक्षा, कृषि, राजस्व, निर्वाचन, रक्षा व अन्य सरकारी एवं निजी क्षेत्र के अधिकारीगण भी मध्यस्थ बनने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

2. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का स्थान: पात्रता रखने वाले आवेदक/संस्था निर्धारित प्रारूप में जिस मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थ के रूप में पैनल में शामिल होना चाहते हैं, उस मध्यस्थता केन्द्र/संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच के मध्यस्थता केन्द्र हेतु रालसा, जोधपुर/जयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट <https://rajasthan.nalsa.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

3. मध्यस्थगण का पैनल तैयार करने के लिए यथा सम्भव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये वैकल्पिक विवाद निस्तारण नियम, 2004 के प्रावधानों की पालना की जावेगी।
4. मानदेय: मध्यस्थगण द्वारा प्रकरण में मध्यस्थ के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने पर उन्हें राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर या प्रचलित नियमों के अनुसार समय समय पर निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जावेगा।



सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष: 0141-2227481 फ़ैक्स: 2227602 टोल फ्री हेल्पलाइन: 15100/9928900900
ई-मेल: rsjsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाइट: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

राजस्थान उच्च न्यायालय मध्यस्थता केन्द्र, जोधपुर/जयपुर तथा जिला मुख्यालयों एवं

तालुका स्तर पर मध्यस्थता प्रशिक्षण हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम

हिन्दी में.....

अंग्रेजी में.....

2. आवेदक के पिता/पति का नाम.....

3. जन्म तिथि (शब्दों व अंको में).....

4. गृह जिला.....

5. उच्च न्यायालय/जिले/तालुका का नाम, जहां अपनी सेवाएं देना चाहते हैं?

.....

6. स्थायी पता.....

.....

7. वर्तमान पता.....

.....

8. मोबाईल नम्बर.....

9. ई-मेल एड्रेस (बड़े अक्षरों में).....

10. कार्यालय का पता.....

11. शैक्षणिक योग्यता (सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, स्नातक एवं तत्पश्चात् अर्जित):-

क्र. सं.	परीक्षा	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

12. क्या पूर्व में MCPC के निर्देशन में 40 घण्टे का मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है? यदि हाँ तो प्रशिक्षण दिनांक व स्थान का विवरण अंकित करें।

.....

13. सेवारत आवेदक के लिए सेवा में प्रवेश की तारीख.....

14. वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए).....

15. अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्त आवेदक के लिए)

आवेदक अपना
नवीनतम रंगीन
पासपोर्ट साईज
फोटो यहां
चिपकाएं

16. सेवानिवृत्ति की दिनांक.....
(सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)
17. बार काउन्सिल में पंजीयन संख्या (विधि व्यवसायी हेतु).....
18. वकालत का अनुभव.....
19. सिविल/क्रिमिनल प्रकरणों की संख्या जिनमें पैरवी की हो (विधि व्यवसायी हेतु)
.....
20. अन्य कार्य/व्यवसाय का अनुभव.....

क्र. सं.	वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज
1.			
2.			
3.			

21. वर्तमान कार्य/व्यवसाय (Occupation) का विवरण.....
22. विगत 03 वर्षों के आयकर रिटर्न का विवरण:-

क्र. सं.	आयकर रिटर्न वर्ष	आयकर रिटर्न के अनुसार कुल आय
1.		
2.		
3.		

23. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं? हाँ/नहीं
24. यदि आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोजन संस्थित किया गया हो तो उसका विवरण दें।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पत्नी श्री.....

घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सही व सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

नोट: आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति आदेश व आयकर रिटर्न की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें। आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते हैं।